उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ।

रिट याचिका संख्या. 866/ 2019 (एम/एस)

राजेंद्र सिंह रावत ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

श्री संदीप कोठारी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री एम. एस. बिष्ट, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

माननीय आलोक सिंह, जे.

1) वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, कलेक्टर जिला नैनीताल द्वारा दिनांक 23.10.2018 को जारी नोटिस और उसके परिणामी आदेशों के साथ-साथ प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा 12.03.2019 को जारी वसूली प्रशस्ति पत्र को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग करता है।

2) उत्तराखंड राज्य ने 19.03.2018 को आबकारी नीति घोषित की है और नीति के अनुसार, नैनीताल जिले के लिए राजस्व लक्ष्य Rs.224 करोड़ निर्धारित किया गया है। देशी शराब और भारतीय निर्मित शराब की दुकानों सहित दुकानों के निपटान के लिए राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राजस्व को दुकानों के बीच वितरित किया गया और भारतीय निर्मित शराब की दुकान मौना के लिए राजस्व 01.05.2018 से 31.03.2019 तक Rs.73,70,000/- की दर से तय किया गया। याचिकाकर्ता ने Rs.1,21,63,273/- का ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सबसे अधिक बोली लगाने वाला होने के नाते, उसे लाइसेंस शुल्क सहित Rs.1,21,63,273/- के कुल राजस्व के लिए दुकान आवंटित की गई। बाद में,

यह महसूस किया गया कि प्रश्नगत दुकान के लिए इतने अधिक राजस्व की बोली लगाना एक अनजाने में गलती थी, क्योंकि प्रश्नगत दुकान उक्त लागत की बिक्री लायक नहीं थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने लाइसेंस सरेंडर करने का अनुरोध किया। 07 जून, 2018 को, दुकान को निरस्त कर दिया गया था।

3) याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दुकान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुल राजस्व Rs.73,70,000/- था; याची ने Rs.23,11,378/- राशि जमा की थी; दुकान के कुल राजस्व के मुकाबले, Rs.73,70,000/- के राजस्व लक्ष्य के अनुसार Rs.50,58,722/- की कमी थी; और राजस्व की कमी की किसी भी वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कैसे और किस तरीके से, याचिकाकर्ता ने राजस्व की कमी की राशि की गणना की है और राजस्व की सटीक कमी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा।

4) राज्य के लिए विद्वान संक्षिप्त धारक ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई और प्रस्तुत किया कि चूंकि यू. पी. आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 11 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए, भारत के संविधान के अनु. 226 के अंतर्गत वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है।

5) U.P. आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 11 के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। आबकारी अधिनियम, 1910, जो निम्नानुसार हैः-

> *11. " अपील और संशोधन।- (1) कलक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम से सभी कार्यवाहियों के संबंध में, आबकारी आयुक्त के नियंत्रण से*

*होगा और कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम से पारित सभी आदेश, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त **बनाए** गए नियमों द्वारा विहित रीति से आबकारी आयुक्त को अपील योग्य होंगेः*

परन्तु उपधारा (1) से कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की संसूचना की तिथि से तीस दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, विवादित कर, फीस, शास्ति या अन्य देय राशियों, यदि कोई हों, का 25 प्रतिशत से कम की राशि का संदाय किए जाने का संतोषजनक सबूत नहीं दिया हैः

परन्तु यह अग्रेतर कि अपील प्राधिकारी, विशेष अग्रेतर पर्याप्त कारणों से, अभिलिखित कर सकेगा कर, फीस, शास्ति या अन्य देय राशियों की ऐसी विवादित रकम के संबंध में पूर्ववर्ती परंतुक की अपेक्षाओं को लिखित रूप में माफ या शिथिल करता है.

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर इस अधिनियम के से किसी भी कार्यवाही में पारित किसी भी आदेश से संबंधित रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है, ताकि ऐसे किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में स्वप्रेरणा समाधान किया जा सके; और यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को पुनर्विचार के लिए संशोधित, रद्द, उलट या प्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकती हैः

परन्तु किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश इस खंड से तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया होः

परन्तु यह अग्रेतर कि इस उपधारा से कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे आबकारी आयुक्त के आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है अग्रेतर जब तक कि कोई अपील, जहां वह है, आबकारी आयुक्त द्वारा दाखिल अग्रेतर निपटाई नहीं जाती हैः

परन्तु यह भी कि पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देय राशियों, यदि कोई हों, की विवादित रकम के कम से कम 25 प्रतिशत की राशि का संदाय करने का

संतोषजनक सबूत नहीं दिया हैः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, कर, फीस, शास्ति या अन्य देय राशियों की ऐसी विवादित रकम के संबंध में पूर्ववर्ती परंतुक की अपेक्षा को माफ कर सकती है या उसमें ढील दे सकती है।"

[जोर दिया गया है]

6) U.P. आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 11 के प्रावधानों का अवलोकन प्रकट करता है कि कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी, अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाही के संबंध में, आबकारी आयुक्त के नियंत्रण के अधीन होंगे और कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित सभी आदेश आबकारी आयुक्त को अपील योग्य होंगे। धारा 11 का पठन यह प्रकट करता है कि 'होंगे' शब्द प्रकृति में आज्ञापक है। इसका अर्थ है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश आबकारी आयुक्त को अपील योग्य होगा। यह अग्रेतर उपबंध करता है कि धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यथित व्यक्ति/अपीलकर्ता ने कर, शुल्क, शास्ति या अन्य बकाया की विवादित राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं की राशि का संदाय नहीं करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। धारा 11 की उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध एक अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके द्वारा मामले के गुण-दोषों की जांच की जाएगी।

7) उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याची को उस उपचार को परित्याग करने या पार करने और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब उसके पास आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील/पुनरीक्षण के माध्यम से एक प्रभावी और पर्याप्त

उपचार था।

8) नतीजतन, रिट याचिका विफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। यद्यपि याचिकाकर्ता को U.P. आबकारी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत उपलब्ध उचित उपचार तलाश करने की स्वतंत्रता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(आलोक सिंह, जे.)

दिनांक 01 अप्रैल, 2019
रावत